संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / डीई–2 / 2018 / 789 भोपाल दिनांक 23/4/2018

आदेश

डॉ.सी.बी.सोलंकी तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद वर्तमान में संयुक्त संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, को माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा होशंगाबाद निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखतवा में अनियमिततायें पाये जाने के फलस्वरूप शासन के आदेश दिनांक 14.06.2004 के द्वारा निलंबित किया गया था एवं दिनांक 27.07.2004 को बहाल किया गया था। संचालनालय के आदेश क्रमांक 4 / शिका / डीई–2 / 2018 / 628, दिनांक 20.03.2018 के द्वारा डॉ.सोलंकी को भविष्य में और अधिक सजगता एवं लगन से कार्य करने की चेतावनी देते हुये उनके विरूद्व जारी आरोप पत्र दिनांक 29.03.2005 सामाप्त किया गया था।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 13.01.2005 के बिन्दु क्रमांक–6 में यह उल्लेख है कि मुख्य शास्ति हेतु संस्थित विभागीय जांच में यदि किसी निलंबित शासकीय सेवक पर जांच उपरांत लघु शास्ति ही अधिरोपित की जाती है तो उसका निलंबन औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 13.01.2005 में दिये गये प्रावधान अनुसार शासकीय सेवक की निलंबन अवधि को मूलभूत नियम 54 बी के परिप्रेक्ष्य में कर्त्तव्य अवधि मान्य कर डॉ.सोलंकी को निलंबन अवधि दिनांक 14.06.2004 से दिनांक 27.07.2004 तक के वेतन भत्तों का भुगतान नियमानुसार किया जावे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

23/4/18

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / डीई–2 / 2018 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. अतिरिक्त संचालक (वित्त) स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल / कार्यालय स्थापना स्थानीय कार्यालय।
5. डॉ. सी.बी.सोलंकी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद वर्तमान में संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
7. आदेश नस्ति

23/4/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक /4/शिका./सेल–5/फा.न.12/श्योपुर/2018/ 783 भोपाल दिनांक 20/4/18

आदेश

डॉ. सुरेन्द्र कुमार तिवारी, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला श्योपुर के विरूद्ध संचालनालय के पत्र दिनांक 22.10.2016 द्वारा निम्न आशय का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया :–

आपके द्वारा जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की स्थापना के उपरांत 6 माह में मात्र 3 मरीज पंजीबद्ध किये गये जिसमें से केवल एक मरीज को ही डायलिसिस की सुविधा दी गई। संचालनालय के पत्र दिनांक 16.02.2016 द्वारा इनवेसिव वेन्टिलेटर क्रय करने के निर्देश दिये जाने एवं बजट उपलब्ध कराने के उपरांत भी आपके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। आपके द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप जिले की आम जनता को डायलिसिस योजना के संबंध में जानकारी नही दी गई न ही ऐसे मरीजों की पहचान की गई जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता है।

2/ डॉ. सुरेन्द्र कुमार तिवारी सिविल सर्जन ~~द्वारा~~ श्योपुर ने अपना प्रतिवाद उत्तर दिनांक 22.12.2016 को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि डायलिसिस यूनिट की स्थापना उपरांत अभी तक चार मरीज पंजीबद्ध किये गये है। इनमें से 70 बार मरीजो को डायलिसिस सत्र के माध्यम से सुविधा का लाभ दिया गया है। वेटिंलेटर, कार्यालय के आदेश दिनांक 29.07.2016 द्वारा क्रय किया गया है, जो प्राप्त हो चुका है। शासन की मंशा के अनुरूप ही जिले की आम जनता को डायलिसिस योजना के संबंध में पूर्ण जानकारी दी गई है एवं मरीजो की पहचान करने के उपरांत ही 70 मरीजो को डायलिसिस सत्र के माध्यम से सुविधा दी जा चुकी है।

3/ डॉ. सुरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिंवाद उत्तर परीक्षणोपरांत संतोषजनक पाया गया। डॉ. तिवारी दिनांक 30.11.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके है। अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ. सुरेन्द्र कुमार तिवारी तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय श्योपुर को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.10.2016 इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।</u>

(डॉ. जे.पी. खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./सेल–5/फा.न. 12/श्योपुर /2018 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतुः–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।

2 निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।

3 कलेक्टर जिला इन्दौर म.प्र.।

4 संचालक (अस्प.प्रशा.) स्थानीय कार्यालय की ओर उनकी टीप क्रमांक 730 दिनांक 18.07.2016 के संदर्भ में प्रेषित।

5 कलेक्टर जिला श्योपुर म.प्र.।

6 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।

7 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.।

8 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुर म.प्र.।

9 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक श्योपुर म.प्र.।

10 डॉ. सुरेन्द्र कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय श्योपुर द्वाराः– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. ।

11 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

आदेश नस्ति।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश